

By email/Post

NHB(ND)/DRS/Pol. Circular No.60/2013-14
February 6, 2014



**राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK**

All Registered Housing Finance Companies

Dear Sir/Madam,

**Guidelines on Know Your Customer & Anti Money Laundering Measures -
Obligation of HFCs under Prevention of Money Laundering Act, 2002.**

Please refer to our Circular NHB(ND)/DRS/Pol-No.33/2010-11 dated October 11, 2010 forwarding revised Guidelines on 'Know Your Customer' and 'Anti money Laundering Measures' that are to be followed by HFCs. In terms of Paragraph 9 of the said Guidelines, HFCs have been advised to take note of the requirements of Rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 in the matter of verification of the records of the identity of clients and ensure its compliance. An indicative list of the nature and type of documents/information that may be relied upon for customer identification is given in the Annex-II to the said Guidelines for the guidance of HFCs. In the case of individual customers, separate sets of indicative documents have been listed for identity and address verification.


2. In this context queries have been frequently received about the acceptance of Aadhaar letter for KYC purposes. In this connection, it may be mentioned that the letter issued by the Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number is an officially valid document within the meaning of Rule 2(1)(d) of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 and, therefore, can be relied upon by a HFC for the purposes of Rule 9 of the said Rules.

3. HFCs are also advised that if the address provided by the customer is the same on the document submitted for identity proof, the document may be accepted as a proof of both identity and address.

4. However, if the current address mentioned by the customer is different from the address indicated on the document submitted for proof of identity, a separate proof of address should be obtained as per extant instructions.

5. HFCs should review their KYC Policy in the light of the above and ensure strict adherence to the same.

Yours faithfully,


(R.S. Garg)
Executive Director

भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष नं. पी. बी. एक्स-011-2464 9031-35 फ़ैक्स : 011-2464 6988, 2464 9041
वेबसाइट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in तार निवास बैंक

Wholly owned by Reserve Bank of India
Core 5-A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : PBX 011-2464 9031-35 Fax : 011-2464 6988, 2464 9041
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in Gram : NIWAS Bank

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”

डाक/ईमेल द्वारा

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस-नीति परिपत्र सं. 60/2013-14

06 फरवरी, 2014

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदय/महोदया,

**अपने ग्राहक को जानिये और धन-शोधन निवारण उपायों पर दिशानिर्देश -
धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आ.वि.कंपनियों का दायित्व**

कृपया हमारे परिपत्र एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति-सं.33/2010-11, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 का संदर्भ लें जिसमें 'अपने ग्राहक को जानिये' और 'धन शोधन निवारण उपाय' पर संशोधित दिशानिर्देश अग्रेषित किये गये हैं, जिनका पालन आ.वि.कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिये। उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 9 के अनुसार, आ.वि.कंपनियों को सूचित किया गया है कि ग्राहकों की पहचान के रिकार्डों की जांच के मामले में धन-शोधन निवारण (रिकार्डों का रखरखाव) अधिनियम, 2005 के नियम 9 की अपेक्षाओं पर ध्यान दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। दस्तावेजों/सूचना की प्रकृति और प्रकार की सांकेतिक सूची जिस पर ग्राहक की पहचान हेतु भरोसा किया जा सकता है, आ.वि.कंपनियों के मार्गदर्शन हेतु उक्त दिशानिर्देशों के अनुलग्नक - II में दी गई है। एकल ग्राहकों के मामले में, सांकेतिक दस्तावेजों के पृथक सेट पहचान और पते के सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किये गये हैं।

2. इस संदर्भ में केवाईसी प्रस्ताव हेतु आधार पत्र की स्वीकृति के बारे में निरंतर प्रश्न प्राप्त किए गये हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एवं आधार संख्या शामिल है, धन शोधन निवारण (रिकार्डों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 2 (1)(डी) के आशय में आधिकारिक तौर पर एक वैध दस्तावेज है। अतः आ.वि. कंपनी द्वारा उक्त नियमों के नियम 9 के उद्देश्य हेतु इस पर भरोसा किया जा सकता है।

3. आ.वि. कंपनियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया पता, पहचान के प्रमाण हेतु प्रस्तुत किए गये दस्तावेज के समान है तो दस्तावेज, पहचान एवं पता दोनों के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाय।

4. हालांकि, यदि ग्राहक द्वारा उल्लिखित वर्तमान पता, पहचान के प्रमाण हेतु प्रस्तुत किए गये दस्तावेज पर दर्शाये गये पते से भिन्न है तो मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ग्राहक से पते का अलग प्रमाण प्राप्त किया जाय।

5. आ.वि.कंपनियों को अपनी केवाईसी नीति की समीक्षा उपरोक्त के आधार पर करनी चाहिये और आ.वि.कंपनियों उक्त का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(आर.एस. गर्ग)

कार्यपालक निदेशक